स्पीड पोस्ट
फैक्स

पत्र संख्या–ए / मु0–44–07 / 2016......................... /

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

पटना, दिनांक–.........................2016

विषय :– दिनांक–18.11.2003 (झाझा थाना कांड सं0–139 / 03 दिनांक–19.11.2003) को मृतक स्व0 राजेन्द्र यादव, ग्राम–सहिया, थाना–सोनो, जिला–जमुई की हत्या उग्रवादियों द्वारा किए जाने के फलस्वरूप मृतक की आश्रिता पत्नी हेमन्ती देवी को अनुग्रह अनुदान की राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, जमुई के आदेश / ज्ञापांक–455 / गो0 दिनांक–24.03.2016 के क्रम में आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, जमुई को पूर्व में आबंटित राशि।	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, जमुई को वर्त्तमान में आबंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, जमुई को कुल आबंटित राशि।
शून्य	₹ 50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र	₹ 50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आबंटित राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मांग संख्या–22, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम–उप शीर्ष–0004–दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड संख्या– N2235602000004 के विषय शीर्ष –31 02 –अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, जमुई कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतक के आश्रिता को समुचित पहचान कर की गई है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट / चेक के माध्यम से किया जाएगा।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जमुई होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायगी।

5. यह आबंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, जमुई की होगी।

कृ0पृ0उ0

आई.टी.प्रबंधक (6)

6. इस राशि का उपयोग ज़िला पदाधिकारी, जमुई द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति/मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह–अनुदान/मुआवजा के रुप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, जमुई का यह दायित्व होगा की भुगतान की गयी राशि का व्यय–विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय यानी वित्तीय वर्ष 2015–16 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रुप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–07/2016........................./ पटना, दिनांक–..........2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–07/2016........................./ पटना, दिनांक–..........2016

स्पीड पोस्ट फैक्स

प्रतिलिपिः–प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार जमुई/वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–07/2016........................./ पटना, दिनांक–..........2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–07/2016..2978../ पटना, दिनांक–26.3.2016

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 26.03.16

सरकार के विशेष सचिव